

आवेदन एवं शुल्क की प्राप्ति

कार्यालय का नाम- जिला निबंधन कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)

आवेदक का नाम १ (१) ७१८१५१

मुगतान किया गया शुल्क-

खोज/निरीक्षण शुल्क - ₹०

प्रतिलिपि शुल्क ₹०

२६८७



आवेदन का उद्देश्य

२८१५११/८५११

आवेदन संख्या/तिथि

८८०/२७/५/२०

५

मदन कुमार श्रीवास्तव

अभिनेतृ विद्यापीठ
हस्ताक्षर

District Registry Office, Hajipur

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 564

RTPS No.:- 564

चूंकि श्री JAGANNATH SINGH ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवमारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवमारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/2010 से ता० 04/04/2021 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवमारों का पता चला है:-

क्रम संख्या	कार्यालय अंचल	मौजा/वार्ड नं०	खाता खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	बिन्दु पृष्ठ पृष्ठ संख्या से तक वर्ष
1	DSRO, HAJIPUR	YUSUFPUR CHHOTI MARAI DHANAOUTI(157)	1006 1015,1016,1017	44180 SQ FEET	DEV.AGREEMENT	48170000 23	356 370 2014

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवमारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।
निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

नाम -Madan Kumar Shrivastwa
Record Keeper

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम -Ranjeet Kumar
U D C

कार्यालय -

District Registry
Office, Hajipur

तारीख -

05-04-2021

यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है तथा इसपर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं।

टिप्पणी-

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।)
2. निबन्धन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
3. किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवमारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- .843 दिनांक:- 05/04/2021

शाखा प्रबंधक CANARA BANK, HAJIPUR के पत्र दिनांक 31/03/2021

के आलोक में प्रेषित।

यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है तथा इसपर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं।